कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
Phone/ Fax:- 05962-23003 E-mail:eepdalmora@rediff.com
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 1029 /50 सी0 दिनाक 12 जुलाई 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0।(प्रस्ताव सं0 15503/2015)

संदर्भः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय देहरादून का पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/140/2016/एफ0सी0/307 दिनॉक 10.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयक मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा पूर्व में कतिपय बिन्दुओं में आपत्तियॉ लगायी गयी थी जिनके निराकरण हेतु ग्रामवासियों की अनापत्ति की आवश्यकता थी। ग्रामवासियों से समय पर अनापत्ति प्रपत्र उपलब्ध न हो पाने के कारण समय से आपत्तियों का निराकरण नहीं हो पाया। वर्तमान में मोटर मार्ग के समरेखन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है तथा मोटर मार्ग के निर्माण से 101 वृक्षों का ही पातन निहित है, जो पूर्ववत ही है।

वर्तमान में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित हैः–

EDS	REPLY
1- State Government may be submit original hard copy of the proposal along with Part I, II and III.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल में इस कार्यालय के पत्र सं0 1020/50सी0 दिनॉक 12 जुलाई 2019 से नोडल कार्यालय देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है।
2- It is deen form KML file of the proposed road that all the villages are already connected with road but in justification it is mentioned that 03 villages will be benefirtted from the proposed road. State Government is required to submit the justification for the requirement of the road.	प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम ठाठ को जोड़ा जाना है। ग्राम ठाठ को जोड़ने में ग्राम डोबा, सरण की भूमि भी प्रभावित होती है। जो पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से जुडे हुये है। ग्राम डोबा, सरण के ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपनी अनापत्ति दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण को पुर्नजीवित करते हुये विषयगत मोटर मार्ग में स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय
12/7/19

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।